फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

बाबूलाल बनाम हीरा

मुकदमा संख्या /वर्ष : 82 /2022

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		पत्रावली आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दिनांक 31/10/23 को पेश हो।	
	31/10/23	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी विधानसभा आम चुनाव-2023 में व्यस्त होने से पत्रावली में सरसरी तारीख पेशी की जाकर पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 07/12/23 को पेश हो	
	07/12/23	पत्रावली पेश हुई, अधिवक्ता संघ द्वारा कार्य बहिष्कार, ~~[illegible]~~ स्थगित करने से पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 11/3/24 पेश हो	
	11/3/24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित पत्रावली आपत्ति [illegible] हेतु दिनांक 9/5/24 को पेश हो।	
		उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	
	9/5/24	पत्रावली पेश हुई। P.O. महोदय राजकार्य में व्यस्त होने से पत्रावली पूर्वानुसार [illegible] हेतु दिनांक 16/5/24 को पेश हो।	
	16/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित पत्रावली पूर्वानुसार	

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		बहस हेतु दिनांक 20/5/21 को पेश हो।
		उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ़
	20/5/21	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप. वकील वादी की बहस आपत्ति कर्ता के सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील वादी की आपत्ति खारिज की जाती है। अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राज० काश्तकारी अधि० कर उपखण्ड तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत कर्ता [illegible] अनुसार रिकार्ड तकामला हेतु आदेश जारी किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया।
		निर्णय आज खुले इजलास सुनाया गया।
		पत्रावली बाद [illegible] नियमानुसार जमा बाद दाखिल दफ्तर हो।
		उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

(12)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
82 / 2022	14 / 06 / 2022	20 / 05 / 2024

1. बाबूलाल पुत्र मोतीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम मुण्डला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान।

वादी

बनाम

1. छीतरराम पुत्र ओंकार जाति गुर्जर निवासी ग्राम मुण्डला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर (राजस्थान)।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभावक
श्री राजेश कुमार वर्मा :– वकील वादी

दावा बाबत बटंवारा, स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा–53, 188 आर0टी0एक्ट

–: निर्णय :–

वादी की ओर से एड0 श्री राजेश कुमार वर्मा ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश किया कि ग्राम मुण्डला तहसील जमवारामगढ में स्थित वादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 696, भूमि है। जिनका वादी संयुक्त खातेदार है जिसका अभी तक विधिक बंटवारा नही हुआ है। वादी विरूद्व प्रतिवादीगण तकासमा डिक्री किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार वादिया का पर्चा लगान पृथक से कायम करवाया जावें। प्रकरण में विधिवत सुनवाई करते हुए दिनांक 05.07.2022 को प्राथमिक डिक्री किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार जमवारामगढ ने अपने पत्रांक / भू0अ0 / 2022 / 7668 दिनांक 26.12.24 द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर पेश की। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर वादी ने आपत्ति पेश की। जिस पर विधिवत सुनवाई की गई तथा वकील वादी की बहस आपत्ति पर सुनी गई। आपत्ति कुर्रेजात खारिज की गई। बहस सुनी जाकर निर्णय किया गया।

पत्रावली का अद्योपान अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ के द्वारा प्रस्तुत बटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ़ ने बटवारा हिस्से अनुसार किया। अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम मुण्डला, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित निम्नांकित आराजियात का तकासमा किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

—: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :—

ा ा	वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा है0	किस्म
1	छीतरराम पुत्र औंकार हि0 31/90 जाति गुर्जर सा0खातेदार, नन्दू देवी पत्नि जगदीश नारायण हि0 9/38 जाति गुर्जर सा0देह खातेदार, बाबूलाल पिता मोतीलाल हि0 3/5 जाति गुर्जर सा0देह	696	1.52	चाही 3
		क़िता 1	1.52	—

—: प्रस्तावित :—

ा ा	प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है0	किस्म
	बाबूलाल पुत्र मोतीलाल हिस्सा सम्पूर्ण जाति गुर्जर सा0देह खातेदार	696/3	0.8880	चाही3
	योग	किता 1	0.8880	—
	छीतरराम पुत्र औंकार हि0 31/76 जाति गुर्जर सा0देह खातेदार, नन्दू देवी पत्नि जगदीशनारायण हि0 45/76 जाति गुर्जर सा0देह खातेदार	696/1	0.5920	चाही 3
	योग	किता 1	0.5920	—
	शामलाती	696/2	0.04	चाही 3
	योग	किता 1	0.04	—

परोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अलग–अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही ादी एवं प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के :स्से मे आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया या। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी है।

निर्णय आज दिनांक 20/05/2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया या।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

डिक्री मुकदमा इबताई

(रूल्स 18–21)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर

बाबूलाल बनाम छीतरराम वगै0

वाद अन्तर्गत धारा–53, 188 बटंवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा रा0टी0एक्ट

मुकदमा नम्बर – 82/2022

ाह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू श्री ललित मीना बहाजिरी श्री राजेश कुमार वर्मा अधिवक्ता ादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाता है कि ग्राम ुण्डला, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित निम्नांकित आराजियात खसरा का तकासमा किया ााकर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

–: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :–

ा ा	वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा है0	किस्म
1	छीतरराम पुत्र ऑंकार हि0 31/90 जाति गुर्जर सा0खातेदार, नन्दू देवी पत्नि जगदीश नारायण हि0 9/38 जाति गुर्जर सा0देह खातेदार, बाबूलाल पिता मोतीलाल हि0 3/5 जाति गुर्जर सा0देह	696	1.52	चाही 3
		किता 1	1.52	–

–: प्रस्तावित :–

ता या	प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है0	किस्म
	बाबूलाल पुत्र मोतीलाल हिस्सा सम्पूर्ण जाति गुर्जर सा0देह खातेदार	696/3	0.8880	चाही3
	योग	किता 1	0.8880	–
	छीतरराम पुत्र ऑंकार हि0 31/76 जाति गुर्जर सा0देह खातेदार, नन्दू देवी पत्नि जगदीशनारायण हि0 45/76 जाति गुर्जर सा0देह खातेदार	696/1	0.5920	चाही 3
	योग	किता 1	0.5920	–
	शामलाती	696/2	0.04	चाही 3
	योग	किता 1	0.04	–

उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

रोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान रेवन्यू रिकार्ड में अलग–अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही वादी प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादी एवं प्रातिवादीगण के हिस्से आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया।

मेरे दस्तखत एवं मोहर से पर्चा डिक्री आज दिनांक 20/05/2024 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

मिलान स्टाप अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
ई	रुपये	पैसे	मुदालयंह	रुपये	पैसे
ाम्प वकालतनामा			स्टांम्प वकालतनामा		
ाम्प वजूह सबुत			स्टाम्प वजूह सबुत		
न्तानावकील			महन्तानावकील		
र्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
ात्हजराय ्मनामा			बबत्हजराय हुक्मनामा		
त0			मुत0		
लान			मिलान		

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ